


12.11.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील सायब
उपस्थित नहीं हुये। मा ही सायब
स्वयं उपस्थित हुये। पत्रावली में
कई बार आवाज लगवाई गई
वार वार आवाज लगवाई गई
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ
अतः पत्रावली के आदेश हाजिरी
आदेश पेश की में खारिज की जाती
है। पत्रावली के लाल भुगार होकर
मूल डाका पत्रावली में शामिल
है।


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

